अनुदान संख्या 12 – औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 12–DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1131,03,00		1131,05,00	1063,88,82	–67,16,18
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					58,71,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			55,00,00	12,00,00	–43,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					43,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	2649.00	2582.20	2480.99	–101.21
पु.	R.	–66.80			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	29499.00	..	..	..
पु.	R.	–29499.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	45168.00			
पू.	S.	2.00	42331.00	41885.35	–445.65
पु.	R.	–2839.00			
मुख्य शीर्ष ''2885'' उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	24901.00			
			52566.00	52564.78	–1.22
पु.	R.	27665.00			
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	7036.00			
			5905.80	5691.76	–214.04
पु.	R.	–1130.20			

(I) 29906.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 29799.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.29906.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.29799.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007'' - 29499.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" – "Development of Backward Areas - Subsidies - North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007" – Rs.29499.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - अन्य व्यय - उत्तर और पूर्व में एकीकृत अवसंरचना विकास" - 300.00 लाख रु. स्कीम तैयार न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Other Expenditure – Integrated Infrastructure Development in Eastern and North" – Rs.300.00 lakhs - due to non-formulation of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "विस्फोटक - पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन" के अंतर्गत 168.01 लाख रु. की बचत (2649.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2070" – "Explosives - Petroleum and Explosive Safety Organisation" – saving of Rs.168.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2649.00 lakhs) was due to economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2852" – "General - Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" - 5176.12 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को अनुमोदन न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" – saving of Rs.5176.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to non-approval of some of the projects under the scheme.

(खा) "राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद" - 626.00 लाख रु. की बचत (910.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन/अनुसंधान कार्य के लिए कम मांग होने, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "National Manufacturing Competitiveness Council" – saving of Rs.626.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.910.00 lakhs) was due to less demand for studies/research work, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(गा) "स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता" - 1000.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Project Based Support to Autonomous Institutions" – saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-approval of some of the projects.

(घा) "निवेश संवर्धन स्कीम" - 814.67 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय का पुन: वर्गीकरण किए जाने और ई - बिज स्कीम की निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(D) "Scheme of Investment Promotion" – saving of Rs.814.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to re-classification of expenditure relating to minor works and non-utilisation of funds for the e-biz scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "3475" - "पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का विनियमन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक'' - 303.85 लाख रु. की बचत (3374.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण'' - 955.70 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण अभिकरण के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, रिक्त पदों का न भरे जाने, इलेक्ट्रानिक्स पत्रिकाओं और डाटाबेस के अभिदान का नवीकरण संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4898.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2852''-

(क) ''सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद'' - 449.00 लाख रु.।

(ख) ''सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम''- 3999.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3966.25 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्य पैकेज''- 450.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' - के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) ''केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम'' - 4000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Controller General of Patents, Designs and Trade Marks" – saving of Rs.303.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3374.00 lakhs) was due to economy measures.

(B) "Modernisation and Strengthening of Intellectual Property Office" – saving of Rs.955.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to delay in finalization of memorandum of understanding with the construction agency, non-filling up of vacant posts and delay in obtaining approval for renewal of subscription of electronics journals and database.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4898.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in December, 2009 and March, 2010 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" –

(a) "Cement and Non-metallic Mineral Industries - Others - National Council for Cement and Building Materials" – Rs.449.00 lakhs.

(b) "General – Other Expenditure - Indian Leather Development Programmes" – Rs.3999.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3966.25 lakhs.

(B) Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Subsidies - Package for Special Category States for J&K, HP and Uttrakhand" – Rs.450.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Subsidies" – under the following heads:-

(A) "Central Interest Subsidy Scheme" – excess of Rs.4000.00 lakhs (against nil provision);

(खा) ''परिवहन आर्थिक सहायता'' - 20400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (20100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) ''पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता'' - 3114.78 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता संबंधी दावों की अदायगी किए जाने के कारण था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(B) "Transport Subsidy" – excess of Rs.20400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20100.00 lakhs); and

(C) "Capital Investment Subsidy" – excess of Rs.3114.78 lakhs (against nil provision).

Excess under the above three heads was due to payment of subsidy claims under the scheme.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4875'' अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4875" Capital Outlay on Other Industries				
मू.	O.	5000.00	700.00	700.00	. .
पु.	R.	-4300.00			

(I) ''अन्य उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम'' - 4300.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का बकाया शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Industries - Investments in Public Sector and Other Undertakings – Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation" – saving of Rs.4300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.